न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
157 / 20	01.12.2020	03 .02.2022

उनवान

1. उस्मानखां पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबा जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1. श्री असगर हुसैन वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णय :–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 359 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर पैमूद हुए है । साबिक आराजी खसरा नम्बर 359 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिदरका का 1/3 दर 2/3 भाग का कमला पुत्र नूरू जाति मेव सा. देह मुर्तहन की कब्जे काश्त की आराजी थी , जिस पर कमला पुत्र नूरू काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था ।जिसके नाम का अंकन सम्वत 2015 की जमाबन्दी मे चल रहा है ।

वक्त सैटिलमेन्ट साबिक आराजी खसरा नम्बर 359 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशगनढबास के हाल खसरा नम्बर 383 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से पैमूद हुये जिसमे कमला पुत्र नूरू को 8/57 भाग काबिज काश्त मुर्तहन दर्ज कर दिया। कमला पुत्र नूरू के वारिसान खातूनी बेवा व वली सरपरस्त सरक्षिका नाबा0 तसलीम व फरजाना व समीना पुत्री कमला , रमजानो उर्फ सरजाना पुत्री कमला ने विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 383 रकबा 0.71 हे. का 8/57 भाग का बेचान का सौदा मिन वादी के साथ दिनांक 9.12.2015 को मुब0 160000 रू. तैय किया गया तथा उसी दिन अपनी समस्त रकम प्राप्त कर सौदे के मध्य इकरारनामा बैय आराजी तहरीर व तकमील कराकर वादी के सुपुर्द कर दिया , तथा उसी दिन आराजी पर मिन वादी /केता का कब्जा करा दिया था जो इकरारनामा वाद के साथ सलग्न है।

विवादित आराजी पर मिन वादी विवादित आराजी पर काबिज व दखिल शान्तिपूर्वक मौके पर तन्हा रूप से काश्त करता चला आ रहा है मिन वादी मौके पर विवादित आराजी को काश्त करता चला आ रहा है तथा इसलिए मिन वादी राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार राजकोष मे विवदित आराजी की राशि जमा कराने को तैयार है तथा विवादित आराजी के हकूक खातेदारी प्राप्त करने हेतु दावा हाजा दायर है ।

दावा निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

अ– डिकी बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 383 रकबा 0.71 हे. का 8/57 भाग वाके ग्राम बिदरका तहसील

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

किशनगढबास का वादी खरीददार काबिज काश्तकार है तथा कब्जे के आधार पर राजस्व रिकार्ड को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमानुसार राशि जमा कराई जाकर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जावे। तथा वादी का अंकन राजस्व रिकार्ड मे बतोर खातेदार दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है । वाद के जेरकार रहते हुए प्रकरण मे कब्जा काश्त रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–72 मे दर्ज गैर खातेदार 8/57 हिस्सा का खातुनी बेवा , तसलीम पुत्र व समीना , रमजानो उर्फ सरजाना फरजाना पुत्रीयान कमला ना.बा. सरपरस्त माता खुद ने जर्ये इकरारनामा दिनांक 9.12.2015 के द्वारा विकय किया है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अवलोकन से खसरा नम्बर 383 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 359 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से बना है जमाबन्दी सम्वत 2015 के साबिक जमाबन्दी 359 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे कमला 0–06 बिस्वा ढहरी एवं 0–02 बिस्वा बारानी यानि कुल 08 बिस्वा पर कमला जो विकेतागण के पिता है काबिज काश्त रहे है। तहसीलदार किशनगढबास रिपोर्ट कमाक 99 दिनांक 02.2.2022 के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है आराजी उक्त वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 09.12.2015 के द्वारा कय किया है मौके पर वादी का कब्जा काश्त है प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी का है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद वादी को जारी किया जाना उचित एंव न्यायसंगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादी काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 383 रकबा 0.71 हे. मे से 8/57 हिस्सा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त आराजी के 8/57 हिस्सा तक दर्ज गैर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी के नाम का अमल मुताबिक सनद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादी स्वयं करेग। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
157 / 20	01.12.2020	03 .02.2022

पर्चाडिकी

उनवान

1. उस्मानखां पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबा जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1. श्री असगर हुसैन वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 383 रकबा 0.71 हे. मे से 8 / 57 हिस्सा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त आराजी के 8 / 57 हिस्सा तक दर्ज गैर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी के नाम का अमल मुताबिक सनद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास जिला अलवर

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद उस्मान बनाम सरकार , निर्णय दिनांक 03.02.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	उस्मानखां पुत्र सुलेमानखां जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा 383/0.71हे. मे से 8/57हिस्सा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 58541921 से राशि 1594 रू.(एक हजार पांच सौ चौरानवे रुपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 58542109 से राशि 797 रू.(सात सौ सत्यानवे रुपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के गैर खातेदार खातुनी बेवा कमला 8/285, तसलीम पुत्र कमला 8/285 , समीना रमजानो उर्फ सरजाना फरजाना पुत्रीयान कमला 24/285 तसलीम नाबालिग सरपरस्त माता खुद मेव सा. देह मुर्तहन के अंकन को कलमजन किया जाकर पर जारी की गई। शेष हिस्सा बदस्तूर रहेगा।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

क्रमाक/सम/2021/1662-65

दिनांक :– 10/02/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी उस्मान खां पुत्र सुलेमान खां जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

3 copy Recd